

20/1/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुरी करील पक्षी
उप. साबस शाही स्वीकार डिमा जाता ही
विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाऊ शाही
मिलत डिमा गमा फत्र तहसीलदार को करी लो
बैठक से कय लो

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सुरतगढ़ (राज.)



664

29.01.25

GOMS

2024/242

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 110/24 JCMS No. 2024/242

दायर दिनांक:- 07-05-2024

कालू राम पुत्र श्री भल्लूराम जाति लुहार साकिन गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज०

---प्रार्थी

बनाम

1-प्रीतमसिंह पुत्र श्री बचनसिंह जाति कुम्हार साकिन रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज०

2-राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए

उपस्थित :-

1- श्री राजवीर भादू , सुर्य प्रकाश चौहान अभिभाषक प्रार्थी

2- पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ ।

---:-- निर्णय ---:

दिनांक:- 28.01.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न० 1 स्वय एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 3/3 के प०न० 61/36 मु० न० 52 के किला न० 21 ता 25/1.265 हे० खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी न० 1 के नाम से भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 24/16 के प० न० 61/37 मु० न० 72 के किला न० 1 ता 14/3.542 हे० , 16 ता 20/1.265 हे० , 25/1 में 0.228 हे० कुल 5.035 हे० खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं० 1/1 के प० न० 61/29 मु० न० 73 के किला न० 1 ता 25/2 में 6.325 हे० रकबा राज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प० न० 61/28- 61/29 , 61/30 प्रत्येक के किला न० 1-10-11-20-21 में मौका पर डामर सड़क से होते हुये प० न० 61/29 के किला न० 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे० -0.019 हे० उत्तरी पासा में पश्चिम से पूर्व होते हुये अप्रार्थी न० 1 की भूमि प०न० 61/37 मु० न० 72 के किला न० 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे० पश्चिमी-उत्तरी कोना में वर्तमान में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते आ रहे है । उक्त रकबा में प्रार्थी से पूर्व मूल खातेदार कास्तकार भी इसी रास्ते से लगभग 10-12वर्षों से करते आ रहे थे है। लेकिन वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प०न० 61/29 के किला न० 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे० -0.019 हे० उत्तरी पासा में पश्चिम से पूर्व एवं अप्रार्थी न० 1 की भूमि प० न० 61/37 मु० न० 72 के किला न० 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे० पश्चिमी-उत्तरी कोना में वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले भूमि या डी एल सी दर से राशि जमा करवाने हेतु तैयार है । प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है । रास्ता स्वीकृत न होने के कारण प्रार्थी को आये दिन परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन करता है ।



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी नं0 1 न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 3/3 के प0न0 61/36 मु0 न0 52 के किला न0 21 ता 25/1.265 हे0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 24/16 के पं0 नं0 61/37 मु0 न0 72 के किला न0 1 ता 14/3.542 हे0 , 16 ता 20/1.265 हे0 , 25/1 में 0.228 हे0 कुल 5.035 हे0 खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड पटवार वाके है । चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 1/1 के पं0 नं0. 61/29 मु0 नं0 73 के किला न0 1 ता 25/2 में 6.325 हे0 रकबा राज भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प0 न0 61/28-61/29 , 61/30 प्रत्येक के किला न0 1-10-11-20-21 में मौका पर डामर सड़क से होते हुये प0 न0 61/29 के किला न0 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे0 -0.019 हे0 उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व होते हुये अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0न0 61/37 मु0 न0 72 के किला न0 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे0 पश्चिमी-उतरी कोना में वर्तमान में चालू रास्ता से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते आ रहे है । उक्त रकबा में प्रार्थी से पूर्व मूल खातेदार कास्तकार भी इसी रास्ते से लगभग 10-12वर्षों से करते आ रहे थे है । लेकिन वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करने का कानूनन मात्र है ।



प्रार्थी की बहस ध्यान पूर्व सुनने एवं प्रार्थना-पत्र पर मनन किया । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थी मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन का कोई भी रास्ता नहीं है । प्रार्थी रकबा राज भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प0न0 61/29 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे0 -0.019 हे0 उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व एवं अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0 न0 61/37 मु0 न0 72 के किला न0 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे0 पश्चिमी-उतरी कोना में आवागमन किया जा रहा है । जिसकी सहमति प्रार्थी डी एल सी की दर से राशि जमा करवाये जाने की सहमति प्रकट की है । इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर रकबा राज भूमि वाके चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प0न0 61/29 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे0 -0.019 हे0 उतरी पासा में पश्चिम से पूर्व भूमि रकबा राज कलमजन करने एवं अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0 न0 61/37 मु0 न0 72 के किला न0 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे0 पश्चिमी-उतरी कोना में अप्रार्थी नं0 1 के नाम से कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी को गैर मु0 रास्ता की एवज में डी एल सी (DLC) दर की दुनी राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जमा करवाने जाने का आदेश दिया जाता है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
श्रीगोविन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / राजस्व/ प्रा.प्र/ 110/ 2024/ 28.01.2025/ 664 दिनांक :- 29.01.2025

तहसीलदार राजस्व

सूरतगढ

विषय :- अनवान कालूराम बनाम प्रीतमसिंह वगैरा में जारी आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान कालूराम बनाम प्रीतमसिंह वगैरा पत्रावली धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत में दिये गये आदेश दिनांक 15-10-2024 के मुताबिक चक 1 जी डी एम तहसील सूरतगढ के प0न0 61/29 के किला नं0 1 ता 5 प्रत्येक में 1½ -1½ बिस्वा अर्थात 0.019 हे0 -0.019 हे0 उत्तरी पासा में पश्चिम से पूर्व भूमि रकबा राज से कलमजन करने एवं अप्रार्थी न0 1 की भूमि प0 न0 61/37 मु0 न0 72 के किला न0 1 में 13फुट× 15फुट अर्थात 0.002 हे0 पश्चिमी-उत्तरी कोना में अप्रार्थी नं0 1 के नाम से कमलजन किया जाकर गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी को गैर मु0 रास्ता की एवज में डी एल सी (DLC) दर की दुनी राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जमा करवाने जाने का आदेश दिया जाता है की पालना कर किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)